झारखण्ड सरकार

स्कूली षिक्षा एवं साक्षरता विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक– .....

संख्या – ..... /भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद् द्वारा राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों को दिनांक– 01.01.1986 के प्रभाव से केन्द्रीय वेतनमान् का लाभ प्रदान किये जाने, दिनांक 01.04.2010 से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 लागू होने तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना सं. 62–1/2012/राअशिप (मानदण्ड तथा मानक) विनियम, 2014 के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि दिनांक 16.12.2014 से प्रभावी होने के फलस्वरूप, उप–विनियम–4(ख) के आलोक में राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों की प्रोन्नति हेतु निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं :–

नियमावली

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**

(1) यह नियमावली झारखण्ड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 2024 कही जा सकेगी।

(2) यह अधिसूचना दिनांक 24.08.2020 की तिथि से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. **परिभाषाएँ–** जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध नहीं हो, इस नियमावली में –

(1) **"संवर्ग"** से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य अंतर्गत कक्षा–01 से कक्षा–08 तक के राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त अथवा प्रोन्नत शिक्षकों का संवर्ग –

(*i*) **"इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक शिक्षक अथवा इंटरमीडिएट उर्दू प्रशिक्षित सहायक शिक्षक संवर्ग"** – शत्–प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति से भरे जाते हैं। यह **मरणशील संवर्ग** (***Dying Cadre***) होगा। स्पष्टतः कोई भी नई नियुक्ति नहीं की जाएगी/नियुक्ति हेतु पद उपलब्ध नहीं होंगे।

(*ii*) **"स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक संवर्ग"** – 50–50 प्रतिशत पद प्रोन्नति एवं सीधी नियुक्ति से भरे जाते हैं। सीधी नियुक्ति से भरे जाने वाले पद, **मरणशील संवर्ग** (***Dying Cadre***) होगा। स्पष्टतः कोई भी नई सीधी नियुक्ति नहीं की जाएगी/नियुक्ति हेतु पद उपलब्ध नहीं होंगे। कार्यरत/दिनांक 24.08.2020 अथवा उसके उपरांत सेवानिवृत्त इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक शिक्षक अथवा इंटरमीडिएट उर्दू प्रशिक्षित सहायक शिक्षक संवर्ग में कार्यरत शिक्षकों हेतु प्रोन्नति के 50 प्रतिशत अंतर्गत पद अगले आदेश तक उपलब्ध रहेंगे।

(*iii*) **"प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय संवर्ग"** कार्यरत/दिनांक 24.08.2020 अथवा उसके उपरांत सेवानिवृत्त प्रोन्नत स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक अथवा सीधे नियुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों हेतु प्रोन्नति के शत्–प्रतिशत पद अगले आदेश तक उपलब्ध रहेंगे।

(2) **''स्थापना समिति''** से अभिप्रेत है, नियम–3 में गठित जिला शिक्षा स्थापना समिति।

(3) **''ग्रेड''** से अभिप्रेत है, वेतनमान्।

(*i*) **''ग्रेड–1** से अभिप्रेत है, इंटर प्रशिक्षित मूल वेतनमान् (9300–34800, ग्रेड पे. –4200) **।**

(*ii*) **''ग्रेड–2''** से अभिप्रेत है, इंटर प्रशिक्षित वरीय वेतनमान (9300–34800, ग्रेड पे. –4600)।

(*iii*) **''ग्रेड–3''** से अभिप्रेत है, इंटर प्रषिक्षित प्रवरण वेतनमान् (9300–34800, ग्रेड पे.–4800)।

(*iv*) **''ग्रेड–4''** से अभिप्रेत है, स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान् (सामाजिक विज्ञान शिक्षक) (9300–34800, ग्रेड पे.–4600) अथवा स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान् (गणित एवं विज्ञान शिक्षक) (9300–34800, ग्रेड पे.–4600) अथवा स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान् (भाषा शिक्षक) (9300–34800, ग्रेड पे.–4600)।

(*v*) **''ग्रेड–5''** से अभिप्रेत है, स्नातक प्रशिक्षित वरीय वेतनमान् (9300–34800, ग्रेड पे. –4800)।

(*vi*) **''ग्रेड–6''** से अभिप्रेत है, स्नातक प्रशिक्षित प्रवरण वेतनमान् (9300–34800, ग्रेड पे. –5400)।

(*vii*) **''ग्रेड–7''** से अभिप्रेत है, मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक का मूल वेतनमान् (9300–34800, ग्रेड पे–4800)।

(*viii*) **''ग्रेड–8''** से अभिप्रेत है, मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक का वरीय वेतनमान् (9300–34800, ग्रेड पे.–5400)।

(4) **''अप्रशिक्षित''** से अभिप्रेत है, जो खण्ड (05) एवं (06) के अनुरूप प्रशिक्षित नहीं हैं।

(5) **''प्रशिक्षित''** से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षण–प्रशिक्षण प्राप्त और उत्तीर्ण हो।

(6) **''मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षक प्रशिक्षण''** का तात्पर्य है कि इस नियमावली में उल्लेखित एवं वांछित शिक्षक प्रशिक्षण, चाहे जो नियमित रूप से अथवा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किये गये हों, परन्तु –

(*i*) यदि शिक्षक प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के प्रभावी होने की तिथि 01.07.1995 के बाद प्राप्त हों, तो यह शिक्षक प्रशिक्षण मात्र उन प्रशिक्षण संस्थानों से प्राप्त एवं उत्तीर्ण किये गये हों, जिन्हें ये शिक्षक प्रशिक्षण प्रदत्त करने हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की उस सत्र एवं संस्थान को मान्यता अनिवार्यतः प्राप्त हो।

(*ii*) यदि शिक्षक प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के प्रभावी होने की तिथि 01.07.1995 के पूर्व प्राप्त हो, तो ये शिक्षक प्रशिक्षण मात्र उन प्रशिक्षण संस्थानों से प्राप्त एवं उत्तीर्ण किये गये हों, जिन्हें ये शिक्षक प्रशिक्षण प्रदत्त करने हेतु उस राज्य, जहाँ वे अवस्थित हों, की राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मान्यता अनिवार्यतः प्राप्त हो।

(*iii*) ''विशेष शिक्षा'' में प्रशिक्षण से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अथवा राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद् के द्वारा विशेष शिक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम एवं मान्यता के अनुरूप प्रशिक्षण में उत्तीर्णता।

(7) **"शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता"** से अभिप्रेत है –

(*i*) **''इंटर प्रशिक्षित''** से अभिप्रेत है, वैसा व्यक्ति जो इंटर या समकक्ष परीक्षोत्तीर्ण हो तथा प्रशिक्षित हो।

(*ii*) **"स्नातक प्रशिक्षित"** से अभिप्रेत है, वैसा व्यक्ति जो स्नातक या समकक्ष परीक्षोत्तीर्ण हो तथा प्रशिक्षित हो।

(*iii*) **"स्नातकोत्तर प्रशिक्षित"** से अभिप्रेत है, वैसा व्यक्ति जो स्नातकोत्तर या समकक्ष परीक्षोत्तीर्ण हो तथा प्रशिक्षित हो।

(8) **"मौलिक नियमावली"** से अभिप्रेत है, भारत सरकार द्वारा अपने कर्मियों के लिए बनायी गयी मौलिक नियमावली।

(9) **"झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा"** से अभिप्रेत है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा–23 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गयी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की 23.08.2010 को निर्गत एवं समय–समय पर यथासंशोधित अधिसूचना में यथानिर्दिष्ट न्यूनतम् अर्हत्ताएं, जिसके अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षा शिक्षकों के पद पर नियुक्ति की पात्रता की जांच हेतु झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य प्राधिकार द्वारा जांच परीक्षा आयोजित की जाती है, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना सं. 62–1/2012/राअशिप (मानदण्ड तथा मानक) विनियम, 2014 के उप–विनियम–4(ख) के अनुसार अध्यापकों की एक स्तर से दूसरे स्तर पर पदोन्नति के लिए भी न्यूनतम् अर्हत्ता के रूप में अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि दिनांक 16.12.2014 से लागू की जानी है।

3. **स्थापना समिति –**

(1) शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा स्थापना समिति गठित होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(i) उपायुक्त – अध्यक्ष
(ii) उप विकास आयुक्त – सदस्य
(iii) जिला शिक्षा पदाधिकारी– सदस्य
(iv) जिला शिक्षा अधीक्षक – सदस्य सचिव
(v) जिला कल्याण पदाधिकारी–सदस्य

परन्तु यह कि यदि क्रमांक (*i*) से (*v*) तक वर्णित पदाधिकारियों में से कोई भी पदाधिकारी अनुसूचित जाति/जनजाति का न हो, तो उक्त वर्गों में से उपायुक्त द्वारा एक पदाधिकारी को इस समिति में मनोनीत किया जायेगा।

(2) जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा इस नियमावली के अधीन राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों की प्रोन्नति विषयक सभी निर्णय लिये जायेंगे।

4. **प्रोन्नति के लिए शर्तें –** निम्नांकित शर्त्तो को पूरा करने पर ही किसी शिक्षक की प्रोन्नति पर विचार किया जा सकेगा :–

(1) वह प्रोन्नति निमित्त निर्धारित न्यूनतम कालावधि प्रोन्नति के संबंध में विचार के पूर्व वर्ष के 31 दिसंबर को पूरी करता हो,

(2) वह प्रोन्नति निमित्त निर्धारित न्यूनतम् शैक्षणिक अर्हत्ता (स्नातक प्रशिक्षित पद/योग्यता के मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का डिग्रियों का विनिर्देशन के संबंध में निर्गत अधिसूचना, वर्ष 2014 एवं उपरांत के अनुरूप स्नातक प्रशिक्षित सामाजिक विज्ञान (वाणिज्य स्नातक सहित), गणित एवं विज्ञान अथवा भाषा विषय में स्नातक उत्तीर्ण योग्यता में मुख्य/अतिरिक्त विषय के रूप में उस संकाय/विषय में उत्तीर्ण), प्रोन्नति के संबंध में विचार के पूर्व वर्ष के 31 दिसंबर को पूरी करता हो एवं निर्दिष्ट प्रशैक्षणिक अर्हत्ता रखता हो,

(3) अनुसूचित जाति/जनजाति अथवा सामान्य वर्ग में से जिस वर्ग का वह हो, अद्यतन आरक्षण नियमों के अनुसार उस वर्ग के लिए रिक्त पद उपलब्ध हो।

(4) वरीयता सूची में उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध, वह विचारणीय हो,

(5) उसकी सेवा संतोषजनक हो तथा

(6) दिनांक 16.12.2014 के उपरांत नियुक्त शिक्षकों के मामले में प्रोन्नत पद के अनुरूप उच्च प्राथमिक झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण रहने की अनिवार्य अर्हत्ता पूर्ण करते हों।

5. **न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हत्ता एवं कालावधि –**

(1) **ग्रेड–3 में प्रोन्नति के लिए –**
स्नातक प्रशिक्षित तथा ग्रेड–2 में न्यूनतम 12 वर्ष की सेवा, अथवा, इंटर प्रशिक्षित तथा ग्रेड–2 में न्यूनतम 18 वर्ष की सेवा।

(2) **ग्रेड–4 में प्रोन्नति के लिए –**
स्नातक प्रशिक्षित तथा ग्रेड–2 एवं ग्रेड–3 में शिक्षक उपलब्ध नहीं होने के फलस्वरूप ग्रेड–1 से ग्रेड–4 में प्रोन्नति की स्थिति में ग्रेड–1 में न्यूनतम 8 वर्ष की सेवा एवं दिनांक 16.12.2014 के उपरांत नियुक्त शिक्षकों के मामले में उच्च प्राथमिक झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण।

(3) **ग्रेड–6 में प्रोन्नति के लिये –**
स्नातकोत्तर प्रशिक्षित तथा ग्रेड–5 में न्यूनतम 12 वर्ष की सेवा अथवा स्नातक प्रशिक्षित तथा ग्रेड–5 में न्यूनतम 18 वर्ष की सेवा,

(4) **ग्रेड–7 में प्रोन्नति के लिये –**

(*i*) स्नातकोत्तर प्रशिक्षित ग्रेड–6 अथवा ग्रेड–5 में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ग्रेड–4 से ग्रेड–7 में प्रोन्नति की दशा में ग्रेड–4 में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा।

परन्तु ग्रेड–04 में न्यूनतम् 05 वर्षों की सेवा पूर्ण शिक्षकों के अभाव में मात्र एकवारीय सुविधा के रूप में ग्रेड–04 में प्रोन्नत शिक्षक, जिनकी कुल सेवावधि 20 वर्षो की पूर्ण हो चुकी हो, को भी ग्रेड–04 में न्यूनतम् 05 वर्षो की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षकों के उपरांत वरीयता सूची में मात्र एक बार रखा जाएगा।

(*ii*) ग्रेड–04 वेतनमान्/पद में सीधी नियुक्ति से नियुक्त शिक्षकों की दशा में ग्रेड–04 में न्यूनतम् 10 वर्षों की सेवा एवं उच्च प्राथमिक झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण।

परन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि के प्रोन्नति हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध पर्याप्त संख्या में अर्हत्ताधारी एवं न्यूनतम् कालावधि पूर्ण करने वाले प्रोन्नत/सीधे नियुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के अभाव की स्थिति में ग्रेड–04 में सीधे नियुक्त अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि के न्यूनतम् 07 वर्षो की सेवा एवं उच्च प्राथमिक झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को भी रखा जाएगा।

6. **पदों की उपलब्धता –** प्रत्येक वर्ष के लिए उस वर्ष की 01ली अप्रैल को प्रोन्नति निमित्त रिक्त पदों की गणना स्थापना समिति करेगी। रिक्त पदों में से कितने पद लागू आरक्षण नियमों के अनुसार

अनुसूचित जाति/ जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लिए होगें, इनकी गणना भी स्थापना समिति करेगी।

परन्तु, यह कि –

(1) ग्रेड–1 से ग्रेड–2 में ग्रेड–4 से ग्रेड–5 में तथा ग्रेड–7 से ग्रेड–8 में प्रोन्नति निमित, क्रमशः ग्रेड–1, 4 तथा 7 प्रत्येक में, मात्र 12 वर्षों की संतोषजनक सेवा अनिवार्य होगी, पदों की उपलब्धता अथवा आरक्षण नीति का निबंधन अथवा झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता का प्रावधान लागू नहीं होगा,

(2) ग्रेड–2 से ग्रेड–3 में तथा ग्रेड–5 से ग्रेड–6 में प्रोन्नति के लिए क्रमशः ग्रेड–2 एवं ग्रेड–5 में 31 मार्च को कार्यरत कुल शिक्षकों के 20 प्रतिशत पद उपलब्ध रहेंगे। झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता का प्रावधान लागू नहीं होगा, परंतु आरक्षण नीति का निबंधन लागू होगा।

(3) ग्रेड–4 एवं ग्रेड–7 में विभिन्न जिलों के लिये सरकार द्वारा स्वीकृत पद प्रोन्नति निमित्त उपलब्ध होंगे, जिसमें दिनांक 12.11.2014 के उपरांत नियुक्त शिक्षकों हेतु उच्च प्राथमिक झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता का प्रावधान तथा आरक्षण का निबंधन लागू होगा।

7. प्रोन्नति हेतु वरीयता – सूची का प्रारूप

प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर की स्थिति के अनुसार आगामी वर्ष के जनवरी माह के अंत तक नियम –8 में वर्णित मानकों के अधीन निम्न वरीयता सूचियों का प्रारूप जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा तैयार किया जायेगा :–

(1) वरीयता सूची नं 1 (जो ग्रेड–3 में प्रोन्नति के लिये होगी) इस सूची में प्रथमतः उन स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को रखा जायेगा, जिनकी ग्रेड–2 में न्यूनतम् सेवा 12 वर्षो की हो गयी हो और तत्पश्चात् उन इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों को, जिनकी ग्रेड–2 में न्यूनतम सेवा 18 वर्षो की हो गयी हो।

(2) वरीयता सूची नं 2 (जो ग्रेड–4 में प्रोन्नति के लिये होगी) –

(*i*) यह सूची सामाजिक विज्ञान, गणित एवं विज्ञान तथा भाषा के शिक्षकों के लिए अलग–अलग बनायी जायेगी।

(*ii*) इस सूची में शिक्षकों को निम्न क्रम में रखा जायेगा–

(क) ग्रेड–3 में कार्यरत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक,

(ख) ग्रेड–2 में कार्यरत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक एवं

(ग) ग्रेड–1 में कार्यरत वे स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, जिनकी सेवा ग्रेड–1 में न्यूनतम 8 वर्ष हो गयी हो।

(3) वरीयता सूची नं 3 (जो ग्रेड–6 में प्रोन्नति के लिये होगी) –

(*i*) यह सूची सामाजिक विज्ञान, गणित एवं विज्ञान तथा भाषा के शिक्षकों के लिए अलग–अलग नहीं, बल्कि समेकित रूप से तैयार की जायेगी।

(*ii*) इस सूची में प्रथमतः उन प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षकों को रखा जायेगा, जिनकी ग्रेड 5 में न्यूनतम् सेवा 12 वर्षो की हो गयी हो और तत्पश्चात् उन प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों को रखा जायेगा, जिनकी ग्रेड–5 में न्यूनतम् सेवा 18 वर्षो की हो गयी हो।

(4) वरीयता सूची नं 4 (जो ग्रेड–7 तथा ग्रेड–8 में प्रोन्नति के लिये होगी) –

(*i*) यह सूची सामाजिक विज्ञान, गणित एवं विज्ञान तथा भाषा के शिक्षकों के लिए अलग–अलग नहीं बल्कि समेकित रूप से तैयार की जायेगी।

(*ii*) इस सूची में शिक्षकों को निम्न क्रम में रखा जायेगा–

(क) ग्रेड–6 में कार्यरत प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक।

(ख) ग्रेड–5 में कार्यरत प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक।

(ग) ग्रेड–4 में कार्यरत वे स्नातकोत्तर प्रोन्नत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, जिनकी सेवा ग्रेड–4 में न्यूनतम 5 वर्ष की हो।

(घ) ग्रेड–4 में कार्यरत वे स्नातकोत्तर सीधे नियुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, जिनकी सेवा ग्रेड–4 में न्यूनतम 10 वर्ष की हो।

(*iii*) इस सूची से ग्रेड–4 तथा 5 में कार्यरत शिक्षक ग्रेड–7 में प्रोन्नत हो सकेंगे। ग्रेड–6 में कार्यरत शिक्षक सीधे ग्रेड–8 में प्रोन्नत हो सकेंगे।

8. एक ही ग्रेड में पारस्परिक वरीयता : एक ही ग्रेड के शिक्षकों को पारस्परिक वरीयता का निर्धारण निम्न मानकों के अधीन होगा –

(1) आपसी वरीयता (*Inter se Seniority*) का आधार उनकी मेधा सूची के अनुरूप नियुक्ति के समय निर्धारित मेधाक्रम होगा, यदि नियुक्ति उसी कैलेंडर वर्ष/नियुक्ति हेतु निर्धारित समयावधि में हुई हो।

(2) जिन मामलों में समेकित मेधा सूची के अनुरूप नियुक्ति के समय निर्धारित मेधाक्रम एवं मेधांक उपलब्ध हैं तथा वरीयता सूची का निर्माण पूर्व में नहीं किया गया है अथवा निर्मित तथा अंतिम रूप से अनुमोदित वरीयता सूची की अवधि 04 वर्ष पूर्ण नहीं हुई हो, उन मामलों में नियुक्ति के समय निर्धारित मेधाक्रम एवं मेधांक के आधार पर आपसी वरीयता का निर्धारण तथा सरीयता सूची तैयार करने अथवा पुनः नये सिरे से वरीयता निर्धारण की कार्रवाई की जाएगी, परंतु इस

क्रम में पूर्व में प्रोन्नत शिक्षकों का नाम उनके प्रोन्नत पद/ग्रेड के अंतर्गत ही रखा जाएगा।

(3) जिन मामलों में नियुक्ति के समय निर्धारित मेधाक्रम एवं मेधांक के आधार पर समेकित अनुशंसा सूची निर्गत नहीं है अथवा वरीयता सूची का निर्माण एवं अनुमोदन की अवधि 04 वर्ष से अधिक हो चुकी है तथा नियुक्ति/प्रथम योगदान की तिथि के आधार पर वरीयता सूची तैयार एवं अनुमोदित की गयी है अथवा तैयार किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, उन मामलों में मेधा सूची/मेधांक के आधार पर नए सिरे से वरीयता निर्धारण की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(4) झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 (यथासंशोधित) के नियम–21(क)(II) एवं (ख)(II) के आधार पर तैयार मेधा सूची में प्रविष्ट, कुल मेधांक के अनुरूप क्रमशः इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की पारस्परिक वरीयता निर्धारित होगी, जिसके संबंध में नियुक्ति नियमावली, 2012 (यथासंशोधित) के नियम–22 में पूर्व से प्रावधान अंकित है, तद्नुरूप कुल मेधांक एवं नियुक्ति नियमावली, 2012 (यथासंशोधित) के नियम–22 के आलोक में पारा एवं गैर–पारा कोटि के लिए वरीयता सूची समेकित होगी।

(5) ग्रेड–04 एवं 07 के मामले में उस ग्रेड में नियुक्ति/प्रोन्नति की तिथि वरीयता निर्धारण का आधार होगा। ग्रेड प्राप्त करने की तिथि समान होने पर उससे निम्न ग्रेड प्राप्त करने की तिथि को और तद्नुसार ही निम्नतम् ग्रेड प्राप्त करने तक की तिथि को आवश्यकतानुसार आधार माना जायेगा।

(6) ग्रेड प्राप्त करने की तिथि अन्ततः समान होने पर जन्म तिथि को आधार माना जायेगा।

(7) जन्म तिथि समान होने पर उनके नाम के रोमन लिपि के वर्णाक्षर क्रम से पारस्परिक वरीयता का निर्धारण होगा।

9. वरीयता सूची का अनुमोदन –

(1) वरीयता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जायेगा तथा उसकी प्रति उपायुक्त, जिला शिक्षा अधीक्षक एवं क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में शिक्षकों के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी। साथ ही जिले के अधिकृत वेबसाईट पर प्रकाशित/उपलब्ध होगी। प्रकाशन के तीस दिनों के अन्दर जिला शिक्षा अधीक्षक को आपत्ति या सुझाव भेजा जा सकेगा।

(2) समय सीमा के अन्तर्गत स्थापना समिति द्वारा प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के बाद तैयार की गयी वरीयता सूची पर जिला स्थापना समिति की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी तथा अंतिम रूप में क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक द्वारा उसे अनुमोदित किया जायेगा।

10. प्रोन्नति आदेश–

(1) वरीयता सूची से, जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा उपलब्ध पदों के विरुद्ध प्रोन्नति संबंधी आदेश निर्गत किये जायेंगे, जो जिला शिक्षा अधीक्षक एवं उप विकास आयुक्त के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत किया जायेगा।

(2) प्रोन्नति आदेश की एक प्रति कोषागार पदाधिकारी को उप विकास आयुक्त के परामर्श पत्र से भेजी जायेगी।

11. कार्यकारी व्यवस्था– उच्चतर ग्रेड के किसी पद पर किसी शिक्षक के कार्यकारी रूप में कार्यरत होने की स्थिति में उस शिक्षक को उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ उक्त कार्यकारी कार्यावधि का कोई लाभ देय नहीं होगा।

12. वेतन निर्धारण– (1) प्रोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा किया जा सकेगा।

(2) निम्नलिखित प्रोन्नतियों के उपरांत वेतन का निर्धारण ''मौलिक नियमावली'' के नियम 22(1)(ए)(i) तथा केन्द्र सरकार द्वारा अपने शिक्षकों के लिए समय–समय पर निर्गत निदेशों के आलोक में किया जायेगा–

(क) ग्रेड–4 में प्रोन्नति
(ख) ग्रेड–7 में प्रोन्नति
(ग) ग्रेड–6 से ग्रेड–8 में प्रोन्नति

(3) निम्नलिखित प्रोन्नतियों के उपरांत वेतन निर्धारण में ''मौलिक नियमावली'' के नियम 22(1)(ए)(i) का लाभ देय नहीं होगा, बल्कि प्रोन्नति के बाद मिलने वाले वेतनमान में जिस प्रक्रम पर प्रोन्नति के पूर्व वेतन होता है, वही देय होगा :–

(क) ग्रेड–2 में प्रोन्नति
(ख) ग्रेड–3 में प्रोन्नति
(ग) ग्रेड–5 में प्रोन्नति
(घ) ग्रेड–6 में प्रोन्नति
(ड़) ग्रेड–7 से ग्रेड–8 में प्रोन्नति

13. अप्रशिक्षित शिक्षक – अप्रशिक्षित शिक्षकों के संबंध में विभागीय संकल्प सं. 3027 दिनांक 14.12.2015 (यथासंशोधित विभागीय संकल्प सं. 1145 दिनांक 18.07. 2019) द्वारा उनकी नियुक्ति की तिथि के आधार पर ग्रेड–1 की आपसी वरीयता निर्धारित किए जाने संबंधी निर्गत प्रावधान प्रभावी होंगे।

14. अपील– इस नियमावली के नियम–10 के अधीन निर्गत आदेश से विक्षुब्ध शिक्षक, आदेश निर्गत होने के 30 दिनों के अन्दर, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के समक्ष अपील कर सकेगा।

15. निरसन और व्यावृति– (1) शिक्षकों की प्रोन्नति संबंधी पूर्व में निर्गत सभी नियम/आदेश इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि से निरसित माने जायेगें।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी ऐसे नियमों एवं आदेशों द्वारा या उनके अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कारवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से किया गया या की गयी समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।